न्यायालय तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

प्रकरण संख्या 15 / 2022

अन्तर्गत धारा 91
राज भू. राजस्व अधिनियम 1956

सरकार जरिये पटवारी हल्का खानपुरा

श्री गोपी पुत्र शिवचन्द जाति
रावत नि0 बडगॉव अजमेर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खानपुरा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम बडगॉव के खसरा नम्बर 153 रकबा 23.73 बीड़ चरागाह भूमि है जिसमें से 0.04 हैक्ट. पर पक्का निर्माण कर कब्जा कर लिया गया है।

वर्तमान में ग्राम बडगॉव के आराजी खसरा नम्बर 153 रकबा 23.73 हैक्ट. मुताबिक रिकार्ड बीड़ चरागाह भूमि दर्ज है। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अुनसार अतिक्रमी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पटवारी रिपोर्ट, राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी संवत 2078 के अनुसार खसरा नम्बर 153 रकबा 23.73 किस्म बीड़ चरागाह भूमि दर्ज है। जिस पर अतिक्रमी श्री गोपी पुत्र शिवचन्द जाति रावत नि0 बडगॉव द्वारा 0.04 हैक्ट पर अनाधिकृत कब्जा किया जाना सिद्व होता है।

अतः उक्त अतिक्रमित भूमि ग्राम बडगॉव के खसरा नम्बर 153 से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है साथ ही भूमि की लगान 1 रू का पच्चास गुना 50 रू की शास्ती से दण्डित किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व भू.अभि. निरीक्षक / पटवारी हल्का को शास्ती राशी की वशूली व अतिक्रमी को मौके से बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 08 / 06 / 2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार अजमेर